"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2016— ज्येष्ठ 4, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक - 735/535/आठ-परि./2016. — रेल विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा जारी सूचना क्रमांक RVNL/BBS/Elect/Raipur-Titlagarh RE/EIG/13876, दिनांक 15-03-2016 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. धुर्वे, संयुक्त सचिव.

रेल विकास निगम लिमिटेड
भुवनेश्वर

एसी 25 केवी ट्रैक्शन का प्रारम्भ किया जाना
"सड़क व्यवहारकर्ताओं को चेतावनी"

भुवनेश्वर, दिनांक 15 मार्च 2016

सूचना

No. RVNL/BBS/Elect/Raipur-Titlagarh RE/EIG/13876. — यह सर्वसाधारण की जानकारी के लिए विज्ञापित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य के दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे एवं पूर्व तट रेल्वे के रायपुर-टिटिलागढ़ सेक्शन के रायपुर (Excl) से खरिआर रोड (Excl) तक अप एवं डाउन लाइन पर 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सभी समपार फाटक पर सड़क स्तर से ऊपर 4.67 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ ऊंचाई गेज इस उद्देश्य से खड़े किए गए हैं कि अधिक ऊंचाई के लोड्स को सजीव ट्रैक्शन वायर के सम्पर्क में आने से या उसके सन्निकट खतरे को रोका जा सके.

जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वाहनों की लोडिंग करने के उद्देश्य हेतु उपरोक्त निर्दिष्ट ऊंचाई का पालन करें तथा यह भी ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में सड़क पर मालों का परिवहन करने वाले वाहन ऊंचाई गेज का उल्लंघन न करें.

अधिक ऊंचाई के लोड से खतरा निम्नानुसार है :

1. ऊंचाई गेज से खतरा तथा परिणामस्वरूप सड़क के साथ ही साथ रेल्वे लाईन पर गतिरोध.
2. वहन किये जाने वाली सामग्रियों या इक्वीपमेंट अथवा स्वयं वाहन को खतरा.
3. कन्डक्टर्स के पास/सम्पर्क में आने की वजह से अग्नि का खतरा एवं जीवन का जोखिम.

No. RVNL/BBS/Elect/Raipur-Titlagarh RE/EIG/13876 . — It is notified for information of the Public that in connection with introduction of 25 kV AC electric traction over UP & DN lines between Raipur (Excl) - Khariar Road (Excl) section of South East Central Railway & East Coast Railway in the state of Chhattisgarh, height gauges have been erected at all the level crossings with clear height of 4.67m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming in to contact or dangerous proximity to live traction wire.

Public are hereby notified to observe the height, specified above for the purpose of loading vehicles and to ensure that the loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstance.

The dangers of a load of excessive height are as follows :

(i) Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the railway line.
(ii) Danger to the materials or equipment carried on the vehicle itself.
(iii) Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the conductors.

हस्ता./-
(वीर भद्र बिश्वकर्मा)
समूह महाप्रबन्धक (विद्युत)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.